न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 93/2025

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
उगम कंवर पत्नी कल्याणसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी मालदेता (गिड़ा), हाल निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बायतु, जिला बाडमेर 2. इन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी मालदेता (गिड़ा), हाल निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा 3. ग्राम पंचायत गिड़ा जरिये सरपंच

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर बाडमेर दिनांक 29.12.2020 राजस्व अपील संख्या 32/2017 अनवान उगमकंवर बनाम राज0 राज्य वगैरा

उपस्थित–
1. श्री मोहनलाल खत्री, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 26 .12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अपर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 32/2017 अनवान उगम कंवर बनाम राज0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा गिड़ा के खातेदारी खसरा नम्बर 99/4/3 रकबा 1 बीघा कृषि भूमि में से 0.02 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण संबंधी आदेश कमांकः राजस्व/2008/613 दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 ने दिनांक 12.08.2008 को तहसीलदार बायतु के समक्ष उपस्थित होकर सरहद मौजा गिड़ा के खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नम्बर 99/4/3 रकबा 1 बीघा खातेदारी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण विलेख प्रस्तुत किया गया, इनकी पहचान तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा की गई। जिसे अपीलांट ने सरपंच द्वारा षडयंत्रपूर्वक दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर, समर्पण करवाया जाना बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही पायी जाने से उक्त अपील को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट के पति एवं रेस्पो0सं0 2 के पिता स्व0 कल्याणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, जाति रावणा राजपूत की खातेदारी भूमि तहसील बायतु के ग्राम गिड़ा के ख0नं0 99/4/3 रकबा 1 बीघा, किस्म बारानी सोयम स्थित थी, जो कल्याणसिंह के फौत होने पर अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 की खातेदारी में दर्ज हुई। ग्राम के मौजिज व्यक्तियों ने पूर्व सरपंच एवं तत्का0 राजस्व मंत्री को उक्त भूमि पर स्व0 कल्याणसिंह की मूर्ति लगवाने हेतु प्रस्ताव दिया गया, जिस पर उन्हें भूमि समर्पण करने हेतु कहा गया एवं मूर्ति अनावरण एवं स्मृति हेतु 10 लाख रूपये के अनुदान की घोषणा की गई। जिस पर तत्का0 सरपंच ने भूमि समर्पण के प्रस्ताव तैयार करवाकर अपने पास रख लिए तथा मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर को प्रेषित किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने पर मना कर दिया गया, तब अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 ने अपनी खातेदारी भूमि समर्पण करने से मना कर दिया गया। तब सरपंच ने षडयंत्र पूर्वक उक्त भूमि को अन्य सार्वजनिक उपयोग में लिए जाने की बदनियती से रेस्पो0सं0 2 द्वारा तैयार किये गये समर्पण विलेख को अपीलांट के फर्जी अंगुष्ठ निशान अंकित कर, अपीलांट की गैर हाजरी में तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवा दी गई व इसका ना0क0सं0 647 दिनांक 13.4.17 द्वारा समर्पण ख0नं0 479/99 रकबा 0.02 बिस्वा किस्म बारानी सोयम राजस्थान सरकार के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। जिसका ज्ञान होने पर अपीलांट द्वारा अपर जिला कलेक्टर

बाडमेर के समक्ष राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। वास्तव में रेस्पो0 सं0 2 द्वारा अपने पिता की मूर्ति लगाने हेतु तत्का0 सरपंच से बातचीत की गई थी, जिस पर सरपंच ने चालाकी पूर्वक समर्पण लिखवा कर उसके हस्ताक्षर करवा कर, अपीलांट का फर्जी अंगुष्ठ निशानी कर समर्पण विलेख तैयार करा लिया गया व इसे षडयंत्र पूर्वक तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त भूमि समर्पण का आदेश पारित करवा लिया गया। जो प्रारम्भतः शून्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है। समर्पण आदेश के बाद तत्का0 सरपंच ने जानबूझ कर ना0क0 की कार्यवाही 9 वर्ष पश्चात विलंब से की गई, ताकि अपीलांट को वस्तु स्थिति की जानकारी समय पर नही हो सके। समर्पित भूमि पर तत्का0 सरपंच द्वारा एक दुकान का निर्माण करवाया जा चुका है तथा उसके निकट रास्ते की भूमि पर दो दुकानों का निर्माण करवा दिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को अपीलांट की खातेदारी एवं रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाने का विधिक अधिकार नही है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने के बावजूद अपील मियाद बाहर होना मानते हुए खारिज कर तहसीलदार बायतु का अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रख दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश एवं तहसीलदार बायतु का आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि वादग्रस्त भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण आदेश तहसीलदार बायतु के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 द्वारा प्रस्तुत समर्पण विलेख के आधार पर पारित किया गया है, जिनकी पहचान तत्कालीन सरपंच ग्रा0पं0 गिड़ा द्वारा की गई। समर्पण बिना किसी शर्त व निर्बंधन के अधीन होता है तथा किसी काश्तकार द्वारा एक बार अपनी खातेदारी भूमि का समर्पण करने के उपरांत बिना आंवटन आदेश के पुनः प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के अनुसार इस मामलें में अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 द्वारा तहसील बायतु के मौजा गिड़ा में स्वयं के

खातेदारी खसरा नम्बर 99/4/3 रकबा 1 बीघा कृषि भूमि में से 0.02 बिस्वा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त एवं शुल्क के समर्पण विलेख पर तहसीलदार बायतु के आदेश कमांकः राजस्व/2008/613 दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध, समर्पित भूमि में अपने पति स्व0 श्री कल्याणसिंह की मूर्ति स्थापित नही होने के कारण, उक्त भूमि को पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष जरिये राजस्व अपील गुहार कर रही है। विधि अनुसार अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष उक्त अपीलों के माध्यम से संभव नही है।

परंतु अपीलांट की इस्तदुआ को देखते हुए, हस्तगत अपील का निस्तारण इस दिशा–निर्देश के साथ किया जाता है कि उसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के उप नियम 19 "आसामियों के खेतों के साथ लगी हुई अनाधिवासित भूमि की छोटी पट्टियों अथवा खण्डों का आवंटन" के तहत अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने पर, उसे ग्राम गिड़ा के खसरा नम्बर 99/4/3 रकबा 1 बीघा कृषि भूमि में से 0.02 बिस्वा समर्पित भूमि, नियमानुसार आवंटित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-12-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

26/12/25.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर